नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर 26 लाख 50 हजार रुपये की ठगी मामले में तीन गिरफ्तार

» आरोपियों के पास से 8 लाख नगदी व चार नग मोबाइल बरामद

» आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई गई थी अलग-अलग 6 टीम

» घटना को अंजाम देने के लिए 15 दिन तक आरोपियों ने की थी रेकी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में स्टील कारोबारी से क्राईमब्रांच का अधिकारी बताकर 26 लाख 50 हजार रुपये ठगी किए जाने के मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय ठगी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने ठगी की घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर प्रार्थी तथा आसपास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर व सीसीटीवी फूटेजों को खंगालने के साथ-साथ अज्ञात आरोपियों के संबंध में तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों का पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस

कंट्रोल रूम घटना के संबंध में खुलासा करते हुए एसएसपी आरीफ शेख ने बताया कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए सेम मॉडल की फर्जी गाड़ी नंबर का उपयोग करके घटना को अंजाम दिया था साथ ही घटना करने के पूर्व दो बार गाड़ी नंबर को चेंज किया गया जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस टीम द्वारा लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर अलग-अलग टीम बनाकर गुजरात एवं उत्तरप्रदेश रवाना किया गया था। आरोपी चंद्रशेखर तल्लोली को बड़ोदरा (गुजरात) में नर्मदा किनारे स्थित आश्रम से एवं अंकित मिश्रा को नैनी (उत्तरप्रदेश) से हिरासत में लेकर रायपुर लाया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने पुलिस को बताया कि नंदन स्टील के कर्मचारी आनंद सिंह ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने ठगी की योजना बनाई थी। व घटना के पहले लगातार 15 दिनों तक स्टील कारोबारी के मुनीम धीरेंद्र कुमार मिश्रा की आते जाते समय रेकी किया था। नंदन स्टील प्लांट कारोबारी अशोक अग्रवाल का सुपरवाईजर धीरेन्द्र मिश्रा का 15 नवंबर को पीछा करते हुए सुंदरनगर मदर फ्राईड स्कूल के नजदीक चंद्रशेखर तल्लोली आयु 35 वर्ष ग्राम अवलरनूर थाना बागेवाड़ी जिला बीजापुर (कर्नाटक) वर्तमान पता वासना वायली रोड बड़ोदरा गुजरात व उसका एक अन्य साथी ने स्वयं को क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताकर प्रार्थी से 26 लाख 50 हजार रुपये ठगी कर लिया था। घटना की रिपोर्ट डीडीनगर थाने में धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई थी। घटना के दिन आरोपी का साथी आनंद कुमार सिंह उर्फ गोलू 22 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मण छपरा थाना डोकटी जिला बलिया वर्तमान पता भनपुरी धनलक्ष्मीनगर थाना खमतराई रायपुर जो की नंदन स्टील का कर्मचारी है किसी को शक न हो करके आफिस देर से गया हुआ था एवं योजना बनाने वाला दूसरा साथी अंकित मिश्रा 22 वर्ष निवासी भरहा करछना इलाहाबाद उत्तरप्रदेश वर्तमान पता नैनी थाना औद्योगिक क्षेत्र इलाहाबाद घटना के 15 दिन पूर्व ही उत्तरप्रदेश जाकर फोन के माध्यम से आरोपियों से घटना के संबंध में तैयारी कर रहा था। अब तक पुलिस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास 8 लाख रुपये एवं 4 नग मोबाइल फोन जब्त किया गया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

नक्सलियों ने की दो ग्रामीणों की हत्या

» राजनांदगांव के सीमा से सटे गढ़चिरौली जिले की घटना

राजनांदगांव (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सली लगातार ग्रामीणों पर अपनी कहर बरपाते जा रहे है। नक्सलियों का इस समय पी एल जी यू सप्ताह चल रहा है इस सप्ताह में नक्सली शासन प्रशासन एवं सरकार के लोकतांत्रिक कार्यों का विरोध करने के लिए जगह-जगह पर बैनर पोस्टर लगाते हैं और निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते हैं सोमवार सुबह राजनांदगांव के सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के ग्राम परसा गोली और ओलांदा में हथियारबंद नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों की हत्या पुलिस मुखबिरी के शक के आधार पर की है मृतक ग्रामीणों में ऋषि नेताम और मासुसू गुमटी शामिल है इधर घटना के बाद मौके पर अर्धसैनिक बल और महाराष्ट्र ग्रेहाउंड के जवानों द्वारा इलाके में नक्सलियों की सर्चिंग तेज कर दी गई है साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलियों से सतर्कता बरत रहा है घटना के बाद गांव में दहशत का आलम है।

नाबालिग के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म, दो संदेही गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। पेंड्रा के गौरेला थानाक्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म, दो संदेही गिरफ्तार किये गये। पेंड्रा के गौरेला थानाक्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नाबालिग जंगल में गाय चराने गई हुई थी जहां शराब के नशे में युवकों ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। 16 वर्षीय किशोरी रोज की तरह रविवार को अपने गायों को चराने के लिए जंगल की तरफगई थी। दोपहर के समय शराब के नशे में धुत दो युवक वहां पहुंचे और अकेली किशोरी को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों भाग निकले। जख्मी हालत में किशोरी किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को वारदात की जानकारी दी। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है।

तोरवा पुल से नदी में कूदा अधेड़, तलाश में जुटी पुलिस

बिलासपुर (आरएनएस)। बीमारी से तंग आकर ऑटो चालक ने छठ घाट पुल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है, सरकंडा पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कुदुदंड में रहने वाला रमजान खान अपनी बीमारी को लेकर काफी परेशान था, और वह अपने जीवन से ऊब चुका था, सोमवार की सुबह वह घर वालों को तोरवा में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर निकला, और वह सीधे तोरवा छठ घाट पुल में पहुँचा, और यहां से उसने नदी कूदकर गया, रमजान खान लकवाग्रस्त था, और वह अपने जीवन से काफी दुखी था, मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया है, और वह रमजान खान की तलाश कर रही है।

शादी का प्रलोभन देकर बनाया शारीरिक संबंध, बलात्कार का मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। परिचित ने युवती से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया व बाद में जान से मारने की धमकी देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। शादी की बात करने पर इंकार कर दिया। घटना की रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर रायपुर मठपारा निवासी युवती 27 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थियां का परिचित प्रतीक पांडेय निवासी शिवानंद नगर खमतराई शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया व बाद में जान से मारने की धमकी देकर 15 जून 2019 से 15 नवंबर तक शारीरिक संबंध बनाते रहा।

तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत, धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। लगातार बढ़ते सड़क हादसे के चलते आए दिन शहर में लोगों की जा रही है। वाहन चालकों ने बताया कि चौक चौराहों से स्पीड ब्रेकर हटा देने की वजह से वाहन चालक सिग्नल जंप करने के लिए अपनी वाहन को तेज गति से चौक चौराहों से निकाल देते हैं जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रही हैं। ऐसा ही एक घटना उरला क्षेत्र में पेप्सी चौक के पास मोटरसाइकिल से जा रहे भगवानदास 32 वर्ष पिता तेजबली पहलवान निवासी ग्राम बेंद्री उरला को तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेए 8226 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक जल्दबाजी के चक्कर में चौक के पास मोटरसाइकिल सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही भगवानदास की मौत हो गई। घटनास्थल के पास ही अपनी ऑटो का पंचर बनवा रहे व्यक्ति सागीर अहमद 43 वर्ष पिता छोटे अहमद निवासी शीतला तालाब के पास बीरगांव ने ट्रक चालक का नंबर नोट कर घटना की रिपोर्ट उरला थाने में दर्ज करायी है।

कमरे के अंदर प्रवेश कर सोने चांदी के जेवरात व नगदी चोरी, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। खुले दरवाजे से कमरे में प्रवेश कर पर्स में रखे सोने चांदी के जेवरात व तीन हजार रुपये नगदी चोरी किए जाने की रिपोर्ट पुरानी बस्ती थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नागरीदास मंदिर परिसर पुरानी बस्ती रायपुर निवासी संतोष कुमार पांडेय 32 वर्ष पिता शिव प्रसाद पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 30 नवंबर को प्रार्थी के खुले दरवाजे से किसी ने प्रवेश कर कमरे के अंदर रखे पर्स को चोरी कर लिया। पर्स में सोने का अंगुठी, हार, झूमका, चांदी की अंगुठी व पायल सहित तीन हजार रुपये नगदी को किसी ने चोरी कर लिया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लैण्ड लाईन पर फोन करके धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। सीएसपी नसर सिद्दीकी को फोन कर जान से मारने की धमकी देने मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. आरोपी को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है. जिस नंबर से फोन कर धमकी देता था उसका मुम्बई में लोकेशन मिला था. लोकेशन के आधार पर टीम ने दबिश देकर देर रात आरोपी को पकड़ा है.दरअसल आरोपी के खिलाफ गंज थाने में भी मामला दर्ज है. सीएसपी को गोली मारने की धमकी देने से पहले 19 नवंबर को आरोपी ने केंद्रीय जेल अधीक्षक और उनके कार्यालय के स्टाफ के साथ भी लैंडलाइन में फोन कर गाली गलौज की थी. इस मामले एसएसपी आरिफ शेख ने खुलासा करते हुए बताया कि नगर पुलिस अधीक्षक आजाद रायपुर को आरोपी द्वारा 26 नवम्बर को मोबाईल पर फोनकर जान से मारने की धमकी दी थी। अन्य थानों में भी आरोपी द्वारा लैण्डलाईन फोन पर जेल प्रहरी आकाश पांडे एवं बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग जिले में भी फोन कर पुलिस वालों के साथ गाली गलौच कर डराया धमकाया जा रहा था। एसएसपी ने खुलासे में बताया कि आरोपी मनीष तिवारी मूलतः नैनी उत्तरप्रदेश का निवासी है। वह नवी मुम्बई की एक कपड़ा फैक्ट्री में सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करता है। आरोपी के मोबाईल

फोन में छग शासन के सभी जिलों के पुलिस जेल एवं राजस्व अधिकारियों के नंबर सेव हैं। उक्त नंबर कहां से मिले इस संबंध मे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन एवं सिम कार्ड जब्त कर लिया गया है। आरोपी तिवारी के खिलाफ थाना गंज एवं कोतवाली में आईपीसी की धारा 507 एवं आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध बस्तर ,बिलासपुर एवं दुर्ग में अपराध एवं शिकायत दर्ज है।

माना कैंप इलाके में मिली महिला व बच्ची की अधजली लाश, शरीर पर चोट के निशान

» पुलिस जुटी जांच में

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र में मां बेटी की अधजली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार माना कैंप के ग्राम नकटी के पास खुले मैदान में आज सुबह मां बेटी की लाश अधजली लाश को देखकर घटना की सूचना किसी ने थाने में दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर आसपास के गांव वालों से महिला व बच्ची की शिनाख्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ग्राम नकटी इलाके के राइस मिल के पास करीब 25 वर्षीय महिला और 4 वर्ष के बच्चे का शव मिला है। गांव के ग्रामीणों की सूचना के बाद खुद एसएसपी आरिफ शेख घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंचे हैं। जांच में प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या लग रहा है। क्योंकि शरीर पर चोंट के भी निशान दिख रहे हैं। इससे साफजाहिर होता है कि हत्या करने के बाद शव को जलाया गया है। पुलिस व फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है वहीं अलग-अलग पुलिस की टीम बनाकर घटना के संबंध में विवेचना की जा रही है। मां बेटी की अधजली डेडबॉडी के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या का खुलासा हो पाएगा।

प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद आयात पर होगी कड़ी कार्रवाई- भूपेश बघेल

» विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रश्नकाल में उठाया मामला

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रदेश में प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध किये जाने और प्रदेश के बाहर से प्लास्टिक उत्पाद के आयात का मामला उठाया । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में कहा कि शासन प्लास्टिक उत्पाद को प्रतिबंधित करने को लेकर गंभीर है और छत्तीसगढ़ में बाहर से आ रहे प्लास्टिक के उत्पादों का आयात करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्नकाल में धर्मजीत सिह के मूल प्रश्न के जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है । एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक उत्पाद कप, ग्लास, प्लेट ,चम्मच के निर्माण और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है । उन्होंने विधायक को यह भी जानकारी दी कि पर्यावरण संरक्षक मंडल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन किए जाने हेतु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जारी किए गए सम्मति का नवीनीकरण भी नहीं किया गया है । पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी इस बात पर चिंता की प्रदेश में प्लास्टिक के कारण बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है और इसे लेकर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए । जोगी ने कहा एक बार इस्तेमाल होने वाले (सिंगल यूज) प्लास्टिक प्रोडक्ट को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ।

इसके जवाब में चौबे ने कहा कि इसके लिए सरकार नीति बना रही है और अधिनियम कार्यवाही प्रचलित है।

विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी इस मामले में चिंता जताते हुए मंत्री से कहा कि बाहर से आयात रोकने से पहले उद्योगपतियो को बुलाकर यहां बातचीत करना चाहिए और पर्यावरण प्रदूषित न हो ऐसे प्लास्टिक उद्योग यहां लगाने की पहल करना चाहिए।

सेप्टिक टेंक के पानी मे डूबने से एक छह वर्षीय बालक की मौत

कवर्धा (आरएनएस)। पिपरिया नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत के पीछे मांगलिक भवन का निर्माण ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। वहा से कुछ दूरी में सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गढ्ढे में ठेकेदार द्वारा मंगल भवन निर्माण में उपयोग के लिए पानी भरा गया था। जहाँ अंशु यादव वर्ष करीब 6 वर्ष को उसकी माँ पानी भरने भेजती थी।आज सुबह करीब 9.30 बजे अंशु का पैर फिसल गया और व सेप्टीक टैंक में गिरकर डूबने से मौत हो गई। जबकि सेप्टिक टैंक के आस पास बच्चे रोज खेलते है। इस प्रकार खुले टैंक में पानी भरकर बड़ी लापरवाही की गई। जिसके कारण बच्चे की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पिपरिया पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।और जाचं करने मे जुटी।

संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग ने करोड़ों का किया घोटाला-शुक्ला

» फर्जी दस्तावेज के आधार पर पाई नौकरी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संयुक्त संचालक के पद तक पदोन्नत होने वाले पंकज वर्मा द्वारा दिव्यांगों एवं निराश्रितों के लिए वित्त विभाग द्वारा आबंटित करोड़ों की राशि में घोटाला किया गया। दसवीं पास पंकज वर्मा ने उत्तर प्रदेश के संस्थान से फिजियोथैरेपिस्ट का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शासकीय सेवा में 1998 में आने के बाद छत्तीसगढ़ शासन को दिव्यांगों, निराश्रितों एवं वृद्धजनों के लिए स्वीकृत राशि में फर्जीवाड़ा कर शासन को चूना लगाया। उक्त आरोप वर्मा पर सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने प्रेसक्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में लगाया। पत्रकारवार्ता में शुक्ला ने बताया कि दसवीं पास पंकज के पास महंगी गाड़ियां हैं। निजी गाड़ियों को चलवाने के लिए चार वाहन चालक शासकीय राशि से वेतन देकर रखे गए हैं। दिल्ली से आए दिन हवाई यात्रा शासकीय काम से दिखाकर वर्मा शासन को गुमराह कर रहा है। वर्मा चारों वाहनों में हर माह लाखों रूपए का डीजल डलवाता है। शुक्ला ने बताया कि पंकज वर्मा ने फर्जी संस्था राज्यश्रोत निःशक्तजन संस्थान माना कैम्प रायपुर में शासकीय योजनाओं के करोड़ों रूपए को अपने खाता क्रमांक 63000040517162 में डालकर जमा कर रहा है। उक्त आहरित राशि का आहरण भी नहीं किया गया है। जिसके चलते शासन को अरबों रूपए का नुकसान हुआ है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

किसानों के ऋण माफी के मुद्दे पर भाजपा सदस्यों का हंगामा, किया बहिर्गमन

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा में आज बिलासपुर संभाग में व्यवसायिक बैंक के कर्जदारी किसानों का ऋण माफ नही किये जाने का मुद्दा भाजपा सदस्यों ने जोरशोर से उठाते हुए इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिये जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक डॉ कृष्णमूर्ति बांधी ने ययन मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से ऋण माफी को लेकर सवालों का जवाब चाहा।

इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर संभाग में 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 3,52, 316 किसानों ने रेल दिया था उन्होंने इसकी जिलेवार एवं बैंक वार जानकारी भी सदस्य को दी। उन्होंने बताया कि अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को रुपए 158123.61 का ऋण माफ किया गया है । मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में यह भी बताया कि 17 874 लाख का भुगतान किया जाना शेष है ।

मुख्यमंत्री के इस जवाब को

लेकर प्रतिपक्ष के सदस्य इसे प्रदेश के अन्य किसानों के ऋण माफी से जोड़कर प्रति प्रश्न की बौछार करने लगे । सदन में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए प्रतिपक्ष भाजपा ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चुनाव के समय किसानों से एक साल में किये जाने का वायदा पूरा करने में सरकार विफल रही है । मुख्यमंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अजय चंद्राकर शिवरतन शर्मा सहित भाजपा के अन्य सदस्यों ने जोर-शोर से आवाज बुलंद करते हुए कहा कि किसानों के ऋण मुक्ति की बात कही जा रही है लेकिन धरातल में यह बात सही नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का ऋण माफ नही किया उनका पैसा भी हम देंगे। चूंकि जिन बैंको से उनके द्वारा ऋण लिया गया है उन बैंको के डायरेक्टर की अब तक बैठक नही हो पायी है जिसके कारण शेष किसानों का ऋण माफ् नही हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रकिया चल रही है और हम अपने वादे के अनुसार शेष किसानों का भी ऋण माफ् करेंगे।

इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा है । इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही जानकारी को आधी अधूरी बताते हुए प्रतिपक्ष भाजपा के सदस्यों ने शोरगुल और नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया।